

मु.नं. 24/23 प्रहलादसिंह / रेवतसिंह

25-3-26 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उपस्थित।  
गा० पत्र (0-9R.7) के प्रस्तुत का आधे-  
वकता ने गा० पत्र (0-9R.7) पर No. 1  
स्थल जाहिर किया। वादी की ओर  
से वादी साक्ष्य पेश नहीं करने पर  
वादी साक्ष्य बंद किया गया। पत्रावली  
वास्ते बहस हेतु दि० 9-4-26 को पेश  
होगी

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

9-4-26 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उपस्थित।  
प्रकरण में बहस सुनी गयी। तदनुसार  
निर्णय पारित किया गया। निर्णय  
अलग से लिखवाया जाकर शामिल  
पत्रावली किया गया।  
पत्रावली फैंसल शुमार लेकर  
नम्बर से कम होगी

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रति भाग्यशाली विद्वान् । इति निर्णयः  
। इति निर्णयः उपस्थित । 0.9  
कमाली नामधारेण । इति निर्णयः ।  
। इति निर्णयः